ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 12 अंक 3 मई–जून 2020 मूल्य ₹1500

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की
मानक शोध पत्रिका

India's Leading Referred Hindi Language Journal

भूमि अधिग्रहण कानून: कुछ जरूरी सवाल

विभा अय्यर

प्राध्यापिका, अर्थशास्त्र विभाग, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली

सत्ता में आने के बाद से वर्तमान सरकार ने भूमि अधिग्रहण के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून के निर्माण का प्रयास किया। इस बिल को यह सरकार पास करवा पाने में सरकार समर्थ नहीं हो सकी। इसका कारण यह है कि न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि सरकार से सहयोग रखने वाले कई दल भी इस बिल की आलोचना में शामिल रहे। असल में 2014 में बनी एन.डी.ए की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में संशोधन लाने का प्रयास किया था लेकिन राज्य सभा में बहुमत नहीं हो पाने के कारण वह संशोधन विधेयक के रूप में पारित नहीं हो पाया। जब सरकार ने इसके लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाने की कोशिश की तो उसे विपक्ष के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी विरोध का सामना करना पड़ा और अन्ततः सरकार को पीछे हटना पड़ा।[1]

सरकार का यह मानना था कि भूमि अधिग्रहण कानून एक ऐसा कानून है जो देश के औद्योगीकरण के लिए अनिवार्य है। उनके अनुसार देश की औद्योगिक प्रगति के लिए शहरी और ग्रामीण भूमि को सही कीमत पर यही कानून मुहैया करा सकता था। इस बिल के प्रावधानों और उसके पक्ष-विपक्ष में उठी बातों को जानने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि अब तक की सरकारों ने भूमि अधिग्रहण के संबंध में किस तरह के कानून बनाए हैं।

आजादी से लेकर सन 2013 तक भारत में भूमि अधिग्रहण औपनिवेशक भारत की अंग्रेज सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून (1894) के तहत किया जाता था।[2] इस कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण का अधिकार सिर्फ सरकार के पास था और वह इसे सिर्फ 'सार्वजनिक कार्यों के लिए' ही कर सकती थी। अधिग्रहीत भूमि के लिए सरकार अपने हिसाब से उचित मुआवजा तय करती थी। 1991 तक सरकार इसी कानून के तहत उद्योग-धंधों, बाँध, रेलवे, कारखानों, इत्यादि के लिए भूमि का अधिग्रहण करती थी। 1991 के बाद से देश में निजी उद्यमों की वृद्धि के साथ इस कानून के लिए निर्धारित 'सार्वजनिक कार्यों हेतु' वाली परिभाषा बदल दी गई। अब सरकारें निजी क्षेत्र के उद्योग-धंधों के लिए भी भूमि का अधिग्रहण इसी कानून के तहत करने लगी। जबसे निजी क्षेत्रों के लिए यह अधिग्रहण शुरू हुए तबसे हम देखते हैं कि किसानों और उनके हितों के लिए लड़ने वाले संगठनों द्वारा इस कानून का काफी विरोध होने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि निजी क्षेत्र को सरकारें जमीन काफी कम दाम में उपलब्ध करा देती थीं और जिनकी जमीनें ली जाती थीं उन्हें सिर्फ सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया मुआवजा ही मिलता था। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र को सस्ते दामों पर मिली जमीन पर उद्योग खड़े कर कई गुना मुनाफा कमाने का अवसर मिलता था। विरोध का यह स्वर जब तेज होने लगा तो यू.पी.ए. सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए एक नया कानून बनाना पड़ा। 2013 में जो नया कानून पारित किया गया उसका नाम था 'भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार' (एल.ए.आर.आर)।[3] इस नए कानून में कई नए और महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो अब तक के कानून में नहीं थे-

1. इस कानून के अनुसार ग्रामीण इलाकों में जहाँ कहीं भी 100 एकड़ से और शहरी इलाकों में 50 एकड़ से अधिक जमीन कब्जे में ली जाएगी, उस इलाके में पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों का सर्वेक्षण और प्रभावित लोगों का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अनिवार्य था। इसके अलावा ऐसी उपजाऊ जमीन जिस पर साल भर में दो और उससे ज्यादा फसलें पैदा होती हों, उसका पाँच प्रतिशत से अधिक का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता।
2. इस कानून के अनुसार ग्रामीण इलाकों में किसानों को बाजार में जमीन की कीमत का चार गुना मुआवजा मिलता था और शहरी इलाकों में दो गुना।